मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

कमॉक बी–13/1/09 /14–2/ भोपाल, दिनॉक 02 फ़रवरी 2011

प्रति,

कलेक्टर
जिला..................................(समस्त)
मध्यप्रदेश ।

विषयः– राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से सूखा प्रभावित जिलों में सहायता ।

वर्ष 2009 में अवर्षा की स्थिति निर्मित होने के कारण राज्य सरकार व्दारा भारत सरकार से आपदा सहायता हेतु मॉग की गई थी । राष्ट्रीय आकस्मिकता आपदा कोष से इनपुट सब्सिडी के रूप में ऐसे किसान जिनकी 50% अथवा उससे अधिक फसल प्रभावित हुई है, को सहायता दी जा सकती है । मध्यप्रदेश को इनपुट सब्सिडी के रूप में रूपये 227.77 करोड़ की राशि भारत सरकार व्दारा स्वीकृत की गई है । भारत सरकार के इनपुट सब्सिडी वितरण के संबंध में दिशा–निर्देशों की **प्रति संलग्न** है ।

2 कृपया आप तत्काल जिले के सूखा प्रभावित ग्रामों में **वर्ष 2009 को** आधार मानते हुए, क्या राहत राशि की आवश्यकता होगी, इसकी मॉग विवरण सहित विशेष वाहक के माध्यम से दिनॉक 05.02.2011 को **श्री विजय पंडित, उप सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के कक्ष 62, ग्राउण्ड फ्लोर में 12 बजे तक** भिजवाने का कष्ट करें । वर्ष 2009 के सूखा प्रभावित ग्रामों में ऐसे किसान जिनकी फसल क्षति 50% अथवा उससे अधिक हुई है, उन्हें इस कोष से इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाना है ।

3 इनपुट सब्सिडी के प्रावधानों में कृषि फसलों के साथ–साथ उद्यानिकी फसलें भी आती हैं व कंडिका 3–इ (1) (2) तथा 4 (1) के तहत यह अनुदान राशि दी जानी है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(मदन मोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृष्ठॉकन कमॉक बी–13/1/09/14–2/ भोपाल, दिनॉक 02 फरवरी 2011

प्रतिलिपि–

1. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0शासन, भोपाल ।
2. संभागीय आयुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म0प्र0 भोपाल ।
4. संयुक्त संचालक (समस्त) किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म0प्र0 ।

   कृपया जिलों से जानकारी संकलित कर दिनॉक 05.02.2011 को भिजवाना सुनिश्चित करावें ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

3	(ङ) **कृषि इनपुट सब्सिडी** जहां **फसल की क्षति 50% या इससे अधिक थी।**	
	(i) कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक पौधरोपण फसलों के लिए।	➢ वर्षा सिंचित क्षेत्रों में **2,000/-रु. प्रति हेक्टेयर।** ➢ बीमाकृत सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए **4,000/-रु. प्रति हेक्टेयर।** (क) बिन बोई अथवा परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी देय नहीं होगी। (ख) किसी भी छोटी जोत वाले किसान को दी जाने वाली सहायता 250/-रु. से कम नहीं होगी।
	(ii) बारहमासी फसलें	➢ सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए **6,000/-रु. प्रति हेक्टेयर।**
		(क) बिन बोई अथवा परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी देय नहीं होगी। (ख) किसी भी छोटी जोत वाले किसान को दी जाने वाली सहायता 500/-रु. से कम नहीं होगी।
4.	**छोटे और सीमांत किसानों से भिन्न किसानों के लिए इनपुट सब्सिडी**	जिन मामलों में फसल का नुकसान 50% या इससे अधिक हो उनमें, धारित भूमि के आकार के बड़ा होते हुए भी क्रमिक आपदाओं की स्थिति में । हेक्टेयर प्रति किसान की सीमा के अध्यधीन तथा 2 हेक्टेयर प्रति किसान तक, निम्नलिखित दरों पर सहायता दी जा सकती है:- ➢ वर्षा सिंचित क्षेत्रों में **2,000/-रु. प्रति हेक्टेयर।** ➢ बीमाकृत सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए **4,000/-रु. प्रति हेक्टेयर।** ➢ सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए **6,000/-रु. प्रति हेक्टेयर।** ○ बिन बोई अथवा परती कृषि भूमि क लिए कोई इनपुट सब्सिडी देय नहीं होगी।